25/3/15 प्रतिवादी पक्ष की तरफ से अधिवक्ता
[illegible] प्रतिवादी की [illegible]
[illegible] इंजेक्शन का केस
[illegible] में उपस्थित प्रतिवादी
26/3/15 को [illegible]

26/3/15 प्रतिवादी पक्ष की ओर से बाद में अन्य वकील का जवाब
[illegible] के अनुसार [illegible] वकील की
[illegible] हुआ। बाद में वकील का
नोटिस दिनांक 26/3/15 का जवाब वकील
प्राप्त [illegible] प्रतिवादी [illegible]
बाद में वकील नोटिस [illegible] के जवाब
[illegible] वकील की अर्जी पर
[illegible] किया गया। बाद में अन्य वकील
जवाब [illegible] के [illegible]
[illegible] बाद में अन्य वकील
के [illegible] प्रतिवादी [illegible]
[illegible] की जाकर [illegible] से कम की [illegible]
प्रतिवादी [illegible] वकील [illegible]
[illegible] रखते हुए [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
कनवास (कोटा)